<u>न्यायालयः- अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 01, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा</u>

पीठासीन अधिकारी - डॉ. सुरभि सिंह (आर.जे.एस.)
दीवानी वाद संख्या - 34/09/2024
सीआईएस नंबर - 9/2024
सीएनआर नंबर - RJKA070000222024

केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे.सी. रोड बेंगलूर-560002 हाल शाखा खैरथल तहसील खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक श्याम सुन्दर, केनरा बैंक शाखा खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा राज.

.... वादी

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र गब्दुराम, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम श्योपुर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, राज., 301407
2. कृष्ण कुमार पुत्र गब्दुराम, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम श्योपुर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, राज., 301407
3. श्रीमती शीला पुत्री गब्दुराम पत्नी कर्मवीर, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम जटियाना, तहसील हरसौली, जिला खैरथल-तिजारा, राज., 301405

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत दिलाये जाने रकम वसूली</u>

<u>उपस्थित</u> :-

1. अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार गुप्ता, वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

-:: <u>निर्णय</u> ::- **<u>दिनांक : 04.08.2026</u>**

1. वादी बैंक द्वारा जरिये शाखा प्रबंधक रजत खण्डेलवाल को अधिकृत कर यह वाद बाबत दिलाये जाने 2,56,965.71/- रूपये अक्षरे दो लाख छप्पन हजार नौ सौ पैसठ रूपये इकहेत्तर पैसे मय ब्याज खर्चा दिनांक

30.09.2023 तक दिलाये जाने ब्याज आईन्दा 01.10.2023 से ता वसूली तक एवं दिलाये जाने खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता प्रतिवादी से विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया है। तत्पश्चात रजत खण्डेलवाल का अन्य शाखा में स्थानान्तरण हो जाने से वादी बैंक द्वारा श्याम सुन्दर को अधिकृत कर वादपत्र के उनवान में संशोधन किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर वादपत्र में संशोधन किया गया।

2. वादी के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी बैंक केनरा बैंक बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन घटित एक निकाय है, जो बैंकिंग व्यवसाय करती है, जिसका प्रधान कार्यालय 112, जे.सी. रोड बैंगलूर-560002 में स्थित है, जिसकी अनेकों शाखाएं पूरे देश भारत में स्थित है जो बैंकिंग का कार्य करती है। जिन शाखाओं में से एक शाखा कस्बा खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल-तिजारा में स्थित है तथा रजत खण्डेलवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार कर्मचारी संख्या 624558 सीनियर मैनेजर हाल शाखा प्रबंधक के पद पर केनरा बैंक शाखा खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल-तिजारा में कार्यरत है जिन्हें बैंक की ओर से हर प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। प्रतिवादी ने के.सी.सी. लोन योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र वादी बैंक केनरा बैंक शाखा खैरथल तहसील खैरथल में आवेदन किया, जिस पर वादी बैंक केनरा बैंक ने के.सी.सी. लोन योजना के तहत दिनांक 01.11.2019 को प्रथम वर्ष के लिए मुब. 1,90,000/-रूपये, द्वितीय वर्ष के लिए 2,09,000/-रूपये, तृतीय वर्ष के लिए 2,29,000/-रूपये, चतुर्थ वर्ष के लिए 2,50,000/-रूपये व पंचम वर्ष के लिए 2,75,000/-रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसका ऋण खाता संख्या 6304841000075 है, जिसकी अदायगी प्रतिवादी को प्रतिमाह मय ब्याज किश्तों में अदा करनी थी। प्रतिवादी ने उक्त ऋण लेते समय वादी बैंक के हक में आवश्यक दस्तावेज ऋण करार वचन पत्र, गारन्टी पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज तहरीर व

तकमील कर अपने हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित कर वादी बैंक को दिये हुए हैं तथा प्रतिवादी ने उक्त ऋण की प्रतिभूति के स्वरूप अपनी खातेदारी की कृषि भूमि रहन रख बैंक के हक में रहन की हुयी है जो असल वादी बैंक के पास मौजूद है। बाद लेने ऋण प्रतिवादी द्वारा समय समय ऋण खाते में लेनदेन करता रहा एवं प्रतिवादी द्वारा वादी बैंक में आकर ऋण को सतत रूप से जारी रखने व ऋण की अदायगी करने हेतु वादी बैंक के पक्ष में दिनांक 17.10.2022 को ऋण अभिस्वीकृति पत्र वादी के पक्ष में अपने हस्ताक्षर कर तहरीर व तकमील किया जो कि असल संलग्न वादपत्र है। जो ऋण अभिस्वीकृत पत्र वादी द्वारा समस्त ऋण खाते का हिसाब समझकर वादी के हक में निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी ने वादी बैंक के साथ ऋण लेते समय ऋण करार किया था ऋण करार में प्रतिवादी व वादी बैंक के बीच यह भी शर्त तय की गयी थी कि ब्याज दर बैंक द्वारा प्रभार्या दर/अंतरालय के संबंध में कोई निर्देश मिलने पर या बैंक की ऋण आधार दर/आंतरिक नीति के समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के अध्ययधीन होगी। यदि ऋणी द्वारा उक्त ऋण की अदायगी समय पर न करने की सूरत में ब्याज मूलधन में जोडा जावेगा। वह 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड स्वरूप (दण्डनीय) ब्याज वो सामान्य ब्याज से अतिरिक्त देय होगा और यह मूलधन का हिस्सा होगा। प्रतिवादी द्वारा वादी बैंक को उक्त ऋण प्राप्त करने के बाद मुताबिक शरायत अदायगी ऋण की नहीं की है और ना ही कर रहा है। जब वादी बैंक का कर्मचारी उक्त ऋण का तलब व तकाजा करने प्रतिवादी के घर पर पहुंचा व उक्त बकाया ऋण राशि अदायगी हेतु तलब व तकाजा किया तो प्रतिवादी ने उक्त ऋण को चुकाने में आना कानी की, इस तरह से प्रतिवादी ने ऋण करार की शर्तों के अनुसार बैंक के उक्त ऋण की अदायगी समय पर नहीं की है तथा प्रतिवादी द्वारा ऋण करार की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और उक्त ऋण की अदायगी अनियमित की है एवं अनियमित होने के पश्चात खाता एन.पी.ए. हो गया, खाता एन.पी.ए. होने के पश्चात उक्त खाते में ब्याज, पैनेल्टी व खर्चा का इंद्राज नहीं किया। वादी बैंक के प्रतिवादी की

ओर दिनांक 30.09.2023 तक के कुल 2,56,965.71/- तथा उसके बाद अदायगी तक का ब्याज मुताबिक प्रचलित दर बकाया चल रहा है एवं खर्चा वादी बैंक जो वादी बैंक प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी बैंक प्रतिवादी से कई बार मौखिक व लिखित तकाजा उक्त ऋण राशि की अदायगी मय ब्याज करने के लिए करता रहा है लेकिन प्रतिवादी हमेशा वादी बैंक को झूंठे आश्वासन देता रहा है। जिसकी टाल बाल से परेशान होकर वादी बैंक ने अपने वकील श्री सुधीर गुप्ता एडवोकेट की ओर से प्रतिवादीगण को एक रजिस्टर्ड नोटिस तहरीर दिनांक 17.05.2024 को प्रेषित करवाया, जो नोटिस ड्यूकोर्स में प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गये, उसके बाद भी प्रतिवादीगण ने वादी का बकाया लोन समय पर अदा नहीं किया। पुनः मौखिक तकाजा उक्त ऋण राशि की अदायगी मय ब्याज करने करने वादी के कर्मचारी द्वारा उक्त् रकम का तकाजा किया गया तो प्रतिवादी द्वारा उक्त रकम लौटाने में आय बाय करने लगे फिर पुनः वादी बैंक का प्रतिनिधि दिनांक 23.05.2023 को प्रतिवादी से मिला व बकाया लोन ब्याज पैनल्टी इत्यादि अदा करने के लिए कहा तो प्रतिवादी स्पष्ट तौर पर इनकार हो गया, जबकि उक्त लोन राशि व ब्याज पैनल्टी इत्यादि की अदायगी के लिए प्रतिवादी पाबंद है .... इत्यादि।

3. अतः निवेदन है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादी बैंक को प्रतिवादी से दिनांक 30.09.2023 तक के कुल 2,56,965/- रूपये 71 पैसा दिलाया जावे। विकल्प के रूप में प्रतिवादी की सम्पत्ति रहन की हुई है, उसे कुर्क कर नीलाम कर वादी बैंक को रूपयों का भुगतान कराया जावे। दिनांक 01.10.2023 से ता वसूली तक मुताबिक प्रचलित दर ब्याज दिलाया जावे। हर्जा खर्चा मुकदमे का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

4. प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.08.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. वादी बैंक की ओर से पी.ड.1 श्याम सुंदर को परीक्षित करवाया गया।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 अकाउंट स्टेटमेंट, प्रदर्श पी 02 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी 03 लगायत प्रदर्श पी 05 रसीद पोस्ट ऑफिस, प्रदर्श पी 06 6(1) प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 07 ऋण स्वीकृति सेंशन लेटर, प्रदर्श पी 08 फॉर्म नं. एनएफ 803, प्रदर्श पी 09 ऋण आवेदन फॉर्म, प्रदर्श पी 10 ऋण करारनामा, प्रदर्श पी 11 सर्च रसीद, प्रदर्श पी 12 क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 13 जमाबंदी, प्रदर्श पी 14 गिरदावरी, प्रदर्श पी 15 जमाबंदी, प्रदर्श पी 16 ऋण अभिस्वीकृति पत्र, प्रदर्श पी 17 हाल डिजिटल जमाबंदी व केवाईसी के दस्तावेज की कॉपी, प्रदर्श पी 18 पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रदर्श पी 18 ए फोटोप्रति पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रदर्श पी 19 65 बी प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करवाया है।

6. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

7. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. इस संबंध में न्यायालय में जो साक्ष्य आई है, उसमें पी.ड.1 श्याम सुंदर द्वारा अपने वादपत्र के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसने उसकी गवाही के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 01 अकाउंट स्टेटमेंट, जिस पर ए से बी पूर्व शाखा प्रबंधक रजत के हस्ताक्षर हैं, प्रदर्श पी 02 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी 03 लगायत प्रदर्श पी 05 रसीद पोस्ट ऑफिस, प्रदर्श पी 06 6(1) प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 07 ऋण स्वीकृति सेंशन लेटर, प्रदर्श पी 08 फॉर्म नं. एनएफ 803, प्रदर्श पी 09 ऋण आवेदन फॉर्म, प्रदर्श पी 10 ऋण करारनामा, प्रदर्श पी 11 सर्च रसीद, प्रदर्श पी 12 क्षेत्रीय प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 13 जमाबंदी, प्रदर्श पी 14 गिरदावरी, प्रदर्श पी 15 जमाबंदी है जिसमें बैंक का रहन का इंद्राज अंकित है। प्रदर्श पी 16 ऋण अभिस्वीकृति पत्र, प्रदर्श पी 17 हाल डिजिटल जमाबंदी है व ऋणी के केवाईसी के दस्तावेज की कॉपी है, प्रदर्श पी 18 पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 18 ए है, प्रदर्श पी 07, 09, 10, 16 पर ए से बी

गिरार्ज, सी से डी कृष्ण व ई से एफ शीला के हस्ताक्षर हैं, प्रदर्श पी 19 65 बी का प्रमाण पत्र है। प्रदर्श पी 07, 08 व 09 पर आई से जे शाखा प्रबंधक नरेन्द्र वर्मा व एम से एन कृषि अधिकारी पंकज के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 16 पर आई से जे अधिकारी विजय कुमार व एम से एन शाखा प्रबंधक रजत खण्डेलवाल के हस्ताक्षर हैं। उक्त सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर वह पहचानता है क्योंकि उसने उन्हें कार्य करते देखा है। प्रदर्श पी 09 पर जो एक्स, वाई, जेड स्थान पर फोटो चस्पा है वह ऋणी के फोटो चस्पा हैं। ऋणी के फोटो कॉपी आधार कार्ड पत्रावली में पेश हैं।

9. इस प्रकार वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी को ऋण दिये जाने के संबंध में असल दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये हैं। पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी बैंक केनरा बैंक ने के.सी.सी. लोन योजना के तहत दिनांक 01.11.2019 को मुब. 1,90,000/-रूपये, द्वितीय वर्ष के लिए 2,09,000/-रूपये, तृतीय वर्ष के लिए 2,29,000/-रूपये, चतुर्थ वर्ष के लिए 2,50,000/-रूपये व पंचम वर्ष के लिए 2,75,000/-रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसका ऋण खाता संख्या 6304841000075 है, जिसकी अदायगी प्रतिवादी को प्रतिमाह मय ब्याज किश्तों में अदा करनी थी। परन्तु प्रतिवादी ने उक्त बैंक की ऋण राशि के मुताबिक राशि वादी बैंक को अदा नहीं की, जिसके कारण वादी बैंक के प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 30.09.2023 तक कुल 2,56,965.71/-रूपये तथा उसके बाद अदायगी तक का ब्याज बकाया है। उक्त ऋण की अदायगी के संबंध में वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये अधिवक्ता नोटिस प्रदर्श पी 02 भी प्रेषित किया गया है, जिसके पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा ऋण राशि वादी बैंक को नहीं लौटायी गयी, जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक से प्राप्त रूपयों की अदायगी नहीं की गई है। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण वादी की ओर से पेश साक्ष्य अखण्डित रही है।

इसके अतिरिक्त वादी द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है। लिहाजा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से वादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी केनरा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया, जो प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को नहीं लौटाया गया है।

अनुतोष :

10. वाद वादी स्वीकार करने योग्य पाया जाता है व वादी अपने पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी राशि 2,56,965.71/- रूपये मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। फलस्वरूप वादी प्रतिवादीगण से 2,56,965.71/- रूपये मय ब्याज दावा पेश करने की दिनांक से उक्त् राशि की वसूली तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

-:: आदेश ::-

11. वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय रूप से मय खर्चा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. वादी प्रतिवादीगण से दावा पेश करने की दिनांक से 2,56,965.71/- रूपये अक्षरे दो लाख छप्पन हजार नौ सौ पैसठ रूपये इकहेत्तर पैसे की वसूली 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ता वसूली प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. उपरोक्त पर्चा डिक्री तैयार किया जाए।

(डॉ. सुरभि सिंह)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 01
किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा

12. निर्णय आज दिनांक 04.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सुरभि सिंह)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 01
किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा